

28521 Series 64700

2785

23500



झारखण्ड JHARKHAND

074749



निवेदन अधिनियम 21 तथा छोटानागपुर
कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के
अधीन एवं भारतीय न्याय अधिनियम 1899 की
अनुसूची 1 या 1 क स 22 के अधीन
दर्थावत स्तम्भ सहित

निवेदन पदाधिकारी
22

17469
AO187601
E 2000-
195 -
42.5
1000
2.7.6
19667.44



Excised Seal

Chaitanya Ban Ban

24/6/2016

21/4/2016-21-6/2016
Chaitanya Ban Ban

21/4/2016-21-6/2016

विकाय- पत्र

(1) लेख्यकारी का नाम वो पूछा पता :-

श्री चन्द्रभान प्रसाद पिता स्वर्गीय देवशरण साहु जाति बैश्य
निवास स्थान मोहल्ला साहित्य समाज चौक, जेलघाट, पोखर
एवं थाना मेदिनीनगर जिला पलामू झारखण्ड पेशा कास्तकारी
नागरिकता भारतीय।

Pan No.- AEVPP8398B Birth Date:- 05-08-1935



झारखण्ड JHARKHAND

074750

(2) लेख्यधारी का नाम वो पूरा पता :-

श्रीमति सीमा केडिया पति का नाम श्री अनूप कुमार
 केडिया जाति बैश्य बनिया निवास स्थान मोहल्ला जेहाता,
 पो० एवं थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू झारखण्ड पेशा
 गृहणी, नागरिकता भारतीय। जाति छाग्नकाल [बैश्य]

Pan No.- ADLPK6184H D.O.B-17/06/1966

आधार क्रमांक - 387348784454

3. लेख्य प्रकार :- विक्रय-पत्र (Sale Deed)

4. सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य:- रुपये 6,47,000/- (छह लाख सैतालीस हजार) रुपये मात्र।

(ख) भौजा निगमियां का आगीण आवासीयं:- मो० 1,61,700/- (एक लाख एकसठ हजार सात सौ) रूपये आवासीय प्रति डीसमील के दर से

(ग) देव्य मूल्यः- मो 6,47,000/- (छव लाख सौ चालीस हजार) रूपये

5. सम्पत्ति :- मवाजी 04 (चार) डीसमील ज़मीन जिसका 1747' (एक हजार सात सौ सैतालीस) वर्गफीट क्षेत्रफल होता है, अन्तर्गत



झारखण्ड JHARKHAND

11/3/1

मौजा निमियां थाना मेदिनीनगर जिला पलामू निबंधन कार्यालय
मेदिनीनगर जिला पलामू हकियत लेख्यकारी को निबंधित
विक्रय-पत्र द्वारा हासिल है। इस दस्तावेज के साथ एक नक्शा भी
संलग्न है जिसमें विक्रय की जाने वाली भूमि को लाल रंग से दर्शाया
गया है जो इस दस्तावेज का अधिभाज्य अंग वो अंग है।

विक्रय की जाने वाली भूमि का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

मौजा	थाना नं०	तौजी नं०	खेत नं०	होलिंग नं०
निमियां	192	90 B	1	1234

खाता नं०	प्लैट नं०	रकवा	क्षेत्रफल
5 (पाँच)	78 (अठहतर)	04 (चार) डीसमील	1747' (एक हजार सात सौ सैतालीस) वर्गफीट

चौदही

उत्तर:-

दक्षिण:-

पुरुष:-

परिचय:-

विक्रेता का नाम

12'-0" (बारह) फीट चौड़ा दरक्ता

आज साथ के केंता शंभुनाथ अग्रवाल

विक्रेता नीज का जग्मीन

A 931286
Chaitanya Prakash
21/6/2016

पृष्ठा + 01.57 - के लिए उपलब्ध है।
(2/2) • पृष्ठा 21 - 06.2016



झारखण्ड JHARKHAND

A 931287

//4//

विक्रय की जाने वाली भूमि का माप फीट में निम्नवत है:-

- | | |
|------------|--------------------------------------|
| उत्तर तरफ | :- पूरब से पश्चिम का माप 41'-3" फीट |
| दक्षिण तरफ | :- पूरब से पश्चिम का माप 41'-3" फीट |
| पूरब तरफ | :- उत्तर से दक्षिण का माप 42'-9" फीट |
| पश्चिम तरफ | :- उत्तर से दक्षिण का माप 42'-0" फीट |

वार्षिक लगान :- मो 0 2 (दो) रुपये अलावे शेष।

नाम मालिक - झारखण्ड सरकार द्वारा अंचलाधिकारी अंचल कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू, झारखण्ड।

विदित हो कि उपरोक्त खाना संख्या पाँच में वर्णित लेख्य सम्पत्ति को लेख्यकारी ने निबिधित विक्रय पत्र संख्या 12450 दिनांक 11.10.1995 ईस्वी जिसका बुक नं 0 1 भौलुम नं 0 43 पृष्ठ संख्या 378 से 382 तक खटीद कर हक एवं कब्जा प्राप्त किये और अंचल कार्यालय मेदिनीनगर से दाखिल खारिज कराकर अपना नाम मांग पंजी में दर्ज करा दिये हैं। जिसका नामान्तरण केश संख्या 141 सन् 2008-2009 ईस्वी एवं जमाबन्दी नम्बर 1234 के द्वारा सरकार को मालगुजारी देकर साजस्व रहीद अपने नाम से कराते चले आ रहे हैं।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि लेख्यकारी लेख्य सम्पत्ति को बिक्रय पत्र संख्या 12450 दिनांक 11.10.1995 ई 0 के माध्यम से और बिक्रय पत्र निष्पादन की तिथि से उनका हक एवं कब्जा इस

Chandra Bhattacharya
2/6/2016



झारखण्ड JHARKHAND

A 931288

//5//

दस्तावेज के बिक्री सम्पत्ति पर हो गया है और वे अपनी इच्छानुसार खरीद की तिथि से लेख्य सम्पत्ति का उपयोग एवं उपभोग शान्तिपूर्ण ढंग से बिना कोई विच्छ-बाधा के करते चले आ रहे हैं। दूसरे शब्दों में लेख्यकारी का लेख्य सम्पत्ति पर निर्विच्छ रूप से दखल-कब्जा कायम है। यह सम्पत्ति भ्रष्टभार एवं बंधक से मुक्त है तथा इस सम्पत्ति से संबंधित कोई मामला लेख्यकारी ने किसी अन्य व्यक्ति से नहीं किया है। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी लेख्यकारी अपने उपर लेते हैं। भविष्य में अगर इस तथ्य के विपरित कोई भी बात पाई जाती है तो इसके लिए वे पूर्णतः जबाबदेह रहेंगे एवं उसकी भरपायी करेंगे।

चूंकि लेख्यकारी को अपनी विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काफी और नगद रूपये की आवश्यकता आ पड़ी है जिसका इंतजार किसी अन्य श्रोतों होना मुश्किल है, इस परिस्थिति में लेख्यकारी को इस दस्तावेज में वर्णित खाना संख्या पाँच की लेख्य सम्पत्ति को विक्री करने का कठोर निर्णय करना पड़ा। इस घोषणा को सुनकर कई इच्छुक खरीदार लेख्यकारी से लेख्य सम्पत्ति को खरीदने के लिए समर्पक किए जिसमें इस दस्तावेज के लेख्यधारी भी सम्मिलित थे परन्तु इसके सिवा दूसरा अन्य कोई भी इच्छुक खरीदार लेख्य सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य देने को तैयार नहीं हुआ।

*Chandru Bhattacharya
21/6/2016*



झारखण्ड JHARKHAND

A 931289

//6//

लेख्यकारी और लेख्यधारी के बीच खटीद बिकी के लिए तैयार हो गये तब खटीद बिकी की बात दोनों पक्षों के बीच मो 6,47,000/- (छव लाख सैतालीस हजार) रुपये में पक्की हो गई जब खटीद बिकी की बात पक्की हो गई तब लेख्यधारी ने लेख्यकारी को पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा डालटनगंज जिला पलामू के चेक संख्या 055302 दिनांक 27.05.2016 द्वारा मो 6,47,000/- (छव लाख सैतालीस हजार) रुपये बनाम चब्दभान प्रसाद के नाम से भुगतान कर दिया है।

इस तरह कुल जरेसममन की राशि लेख्यधारी से लेख्यकारी वसूल पा चुके हैं। अब जमीन के मूल्य में लेख्यकारी को एक रुपया पाना बाकी नहीं रहा। लेख्यकारी का हक कब्जा केवाला निष्पादन की तिथि तक लेख्य सम्पत्ति पर था और केवाला निष्पादन के बाद अपना स्वामित्व एवं हक कब्जा का स्थानान्तरण लेख्यधारी के पक्ष में कर दिया है। आज की तिथि से उन्हें यह स्वतंत्रता होगी की वे जमीन का उपयोग एवं उपभोग करके लाभ उठावें जमीन पर मकान बनावें हाता के अद्दर लावें अपने परिवार सहीत उसमें निवास करें या किसाये पर लगावें अपनी इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करके लाभ उठावें। लेख्यकारी को लेख्य सम्पत्ति पर हक एवं कब्जा के उपयोग एवं उपभोग में आज की तिथि से लेख्यकारी या उनके

Chandru Mohan Dhadial
26/4/2016

भारतीय नौ न्यायिक

भारत INDIA

₹. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

A 931290

111.

उत्तराधिकारीयों एवं स्थानापन्न को कोई भी व्यवधान खड़ा करने का अधिकार नहीं रहेगा। लेख्यकारी इस दस्तावेज के माध्यम से यह घोषणा करते हैं कि यदि लेख्य सम्पत्ति के उपयोग एवं उपभोग में लेख्यधारी को हक एवं कब्जा में कोई खोट पाये जाने पर उसका व्यायिक उत्तरदायित्व अपने उपर लेते हैं। दूसरे शब्दों में लेख्यकारी पाक-साफ बिना कोई ऋण एवं बंधक की लेख्य सम्पत्ति का हस्तान्तरण इस दस्तावेज के माध्यम से कर दे रहे हैं और कोई खोट पाये जाने पर वह उसकी भरपायी करने का वादा एवं विश्वास दिलाते हैं।

अब लेख्यधारी को चाहिए कि इस दस्तावेज के माध्यम से इस लेख्य सम्पत्ति का झारखण्ड सरकार के सिरिसे ऑफिस अंचल कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू के यहाँ दाखिल खारिज अपने नाम से कहा लें तथा इसके लगान की रसीदों को स्वयं अपने नाम से प्राप्त किया करें।

यह कि. इस दस्तावेज में वर्णित जगीन सरकारी भूमि वन विभाग की शूमि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर की शूमि भुदान से प्राप्त शूमि अथवा किसी अन्य प्रकार से प्रतिबन्धित शूमि नहीं हैं तथा इसके हस्तान्तरण से छोटानागपुर काष्टकारी अधिनियम के संगत प्रावधानों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं हो रहा है।

Chaitanya Roy
21/6/2016



झारखण्ड JHARKHAND

A 931291

//8//

इस दस्तावेज में लिखी गई उपरोक्त सभी बातों को पढ़कर,
समझ-बुझकर बिना किसी डर भय एवं दबाव या बहकावे एवं
फुसलावा के अपने शारीर एवं मन की दूर्ण स्वस्थता में यह वसिका
केवाला (बिक्री-पत्र) का निष्पादन करके निबन्धन कार्यालय से
निबन्धित करवा दे रहे हैं कि भूमि हस्तान्तरण का द्यायी प्रमाण रहे।

टक्का
लिखा

21/6/2016

Chhota Bhairab

मैं भूमि बेहतर दस्तावेज नं. स. 111/03 स्वाक्षर
के द्वारा दिया गया छाता इ-प्रदान के लिए -
मैं भूमि बेहतर छाता - आप लाज दूष बोलने के
लिए नाम नहीं दिया गया है जिसका नाम है शर्याब

21-6-2016



झारखण्ड JHARKHAND



मामा कोटिया
21.6.16

Chandrabhushan
21.6.16

अजग्रह कला → शिल्प मेहरा पद्मवीक्षण नवीकरण ला. नं. 111/63
स्थान - मेहरीनगर, उड़िया, पट्टू छोड़ दोनों पर्सों की दूरी
व समान फूल तरी पाछे आद्वाना - अद्वाना - अद्वाना
क्रमांक नं. 21.6.16